अध्याय–III
राज्य आबकारी

अध्याय - III
राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों[1] में विभाजित किया गया है जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 255 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को आबकारी शुल्कों एवं संबद्ध करों के उद्ग्रहण/संग्रहण की देखरेख तथा विनियमन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2017-18 में राज्य आबकारी शुल्क से सम्बन्धित 13 इकाइयों में से नौ इकाइयों जिनमें ₹1,015.63 करोड़ की प्राप्तियां थी, के अभिलेखों की नमूना-जांच से ₹67.37 करोड़ के आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस, ब्याज, शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की वसूली न करना तथा अल्प वसूली करने के 61 मामले उद्घाटित हुए, जो नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹ करोड़ में

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क की वसूली न करना/अल्प वसूली करना	03	9.28
2.	लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति इत्यादि की वसूली न करना/अल्प वसूली करना	35	57.13
3.	अन्य अनियमितताएं	23	0.96
योग		**61**	**67.37**

श्रेणी वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाए गए है:

ग्राफ - 3.1

लेखापरीक्षा परिणाम

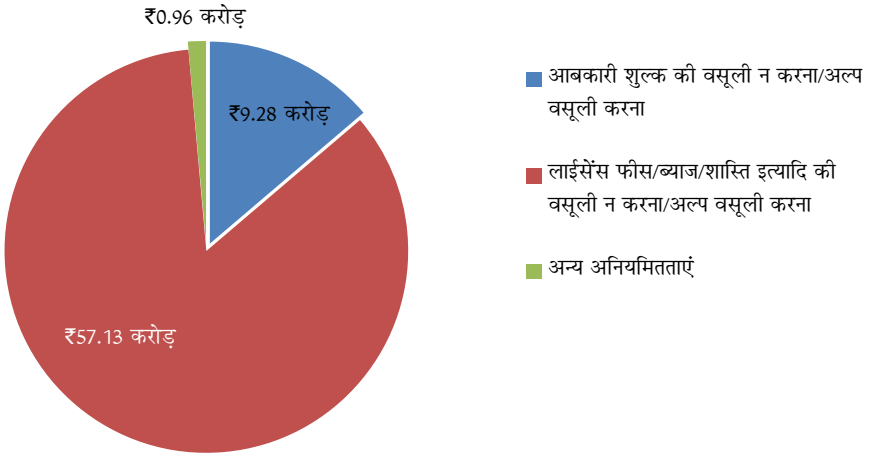

[1] दक्षिण अंचल (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर तथा बद्दी), उत्तर अंचल (चम्बा, कांगड़ा, नूरपुर तथा ऊना) तथा केन्द्रीय अंचल (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू तथा मण्डी)।

वर्ष 2017-18 के दौरान विभाग ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सम्बन्धित पांच मामलों में ₹9.21 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा उसे वसूल किया ।

₹55.86 करोड़ से अंतर्ग्रस्त महत्वपूर्ण मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 लाइसैंस फीस की अल्प वसूली

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 49 लाइसेंसधारियों से ₹38.90 करोड़ की कम जमा लाइसेंस फीस वसूलने अथवा बिक्री केन्द्र सील करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

आबकारी घोषणा 2016-17 में प्रावधान है कि एक विशे ष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस पूरे वर्ष हेतु प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए निर्धारित शराब की न्यूनतम गांरटीड कोटा के आधार पर पूर्व निर्धारित होगी। इस प्रकार से निर्धारित की गई फीस को 12 मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा और प्रत्येक माह के अन्तिम दिन तक भुगतान किया जाएगा और मार्च महीने के लिए अन्तिम किस्त का पूरा भुगतान 15 मार्च तक किया जाएगा। इसमें पुन: प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी नियत तिथियों पर लाइसेंस फीस एवं ब्याज की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो जिले का प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अनुवर्ती महीने के पहले दिन या 16 मार्च को, जैसी भी मामला हो, बिक्री केन्द्र को सील करेगा ।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्टरों[2] से सम्बन्धित अभिलेखों जिसमें 1,134 बिक्री केन्द्र शामिल थे की नमूना-जांच में पाया गया कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[3] जिनमें 720 बिक्री केन्द्र थे, में विभाग ने 49 बिक्री केन्द्रों (दुकानों) से लाईसेंस फीस की कम वसूली की। वर्ष 2016-17 में वसूलीयोग्य ₹224.20 करोड़ की लाईसेंस फीस के प्रति विभाग ने ₹185.30 करोड़ वसूल किए। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने न तो शेष लाईसेंस फीस की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की और न ही आबकारी घोषणा के अनुसार बिक्री केन्द्रों को सील किया जबकि इन बिक्री केन्द्रों के लाईसेंसधारी अप्रैल 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य मासिक किश्तों के भुगतान करने में दोषी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹38.90 करोड़ की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[4] ने ₹2.34 करोड़ की राशि को वसूल कर लिया था तथा तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[5] ने बकाया भू-राजस्व के तहत ₹26.18 करोड़ का बकाया घोषित किया था; इसके अतिरिक्त, बकाया राशि वसूलने हेतु चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

---

[2] माह के दौरान बिक्री के लिए जारी की गई देशी शराब एवं भारत में निर्मित शराब सहित विदेशी शराब की मात्रा, देय अतिरिक्त लाइसेंस फीस तथा प्राप्तियों को दर्शाने वाली पंजिका।

[3] बद्दी: नौ इकाइयां: ₹6.63 करोड़, मण्डी: सात इकाइयां: ₹6.09 करोड़, शिमला: 13 इकाइयां: ₹12.56 करोड़, सिरमौर: दो इकाइयां: ₹0.41 करोड़ तथा ऊना:18 इकाइयां: ₹13.21 करोड़ ।

[4] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी: ₹2.33 करोड़ तथा मण्डी: ₹1.01 लाख।

[5] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला: ₹12.56 करोड़, सिरमौर: ₹0.41 करोड़ तथा ऊना: ₹13.21 करोड़ ।

3.4 न्यूनतम गारंटीड कोटा कम उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना

विभाग ने 561 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 100 प्रतिशत बैंच-मार्क के प्रति 40,58,893 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर ₹12.74 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया। 80 प्रतिशत बैंच मार्क के प्रति न्यूनतम गारंटीड कोटा कम उठाने पर ₹1.81 करोड़ की शास्ति भी उदग्राह्य थी ।

आबकारी घोषणा 2016-17 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को बिक्री केंद्र के लिए निर्धारित किए गए देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों के न्यूनतम गारंटीड कोटे को उठाना अपेक्षित होगा और न्यूनतम गारंटीड कोटे के आधार पर नियत की गई लाइसेंस फीस की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के न उठाए गए न्यूनतम गारंटीड कोटे पर लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस के भुगतान के अतिरिक्त ₹10 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹56 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर अतिरिक्त फीस की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा जो न्यूनतम गारंटीड कोटे के 100 *प्रतिशत* बैंच-मार्क से कम होगी। इसके अतिरिक्त, देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के न उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी ₹7 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹14 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शास्ति की अदायगी हेतु भी उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 80 *प्रतिशत* बैंच-मार्क से कम होगी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीड कोटे को उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त फीस के साथ-साथ न उठाए गए न्यूनतम गांरटीड कोटे पर शास्ति की राशि की वसूली भी सुनिश्चित करेगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों जिसमे 1,134 बिक्री केन्द्र शामिल थे, की नमूना जांच की गई तथा पाया कि 897 बिक्री केन्द्रों वाले सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 561 बिक्री केन्द्र के लाइसेंसधारियों ने शराब के न्यूनतम गांरटीड कोटा से कम शराब उठाई थी। न्यूनतम गांरटीड कोटे को कम उठाने के कारण ₹12.74 करोड़[6] अतिरिक्त शुल्क उदगृहीत किया जाना अपेक्षित था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 3.2: निर्धारित न्यूनतम गारंटीड कोटा एवं उठाए गए कोटे की स्थिति

शराब कोटा	देशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब	कुल
नियत न्यूनतम गारंटीड कोटा (प्रूफ लीटर में)	79,47,178	67,25,511	1,46,72,689
उठाया गया न्यूनतम गारंटीड कोटा (प्रूफ लीटर में)	57,75,382	48,38,414	1,06,13,796
कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीड कोटा (प्रूफ लीटर में)	21,71,796	18,87,097	40,58,893
अतिरिक्त फीस (₹ में)	10 प्रति प्रूफ लीटर	56 प्रति प्रूफ लीटर	--
भुगतान योग्य अतिरिक्त फीस (₹ में)	2,17,17,960	10,56,77,432	12,73,95,392

पुन: यह पाया गया कि इन 561 लाइसेंसधारियों में से 550 लाइसेंसधारियों के मामले में न्यूनतम गांरटीड कोटे के प्रति 80 *प्रतिशत* के बेंच मार्क से 18,29,846 प्रूफ लीटर (देशी शराब: 10,70,548 तथा भारत निर्मित विदेशी शराब: 7,59,298) कम उठाई गई थी तथा इन लाइसेंसधारियों से ₹1.81 करोड़ की शास्ति को उदगृहीत किया जाना अपेक्षित था। तथापि, आबकारी घोषणा के उल्लंघन में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद कि लेखापरीक्षा ने पिछले पांच वर्षों से बार-बार इन कमियों को इंगित किया था,

[6] बद्दी: 44 बिक्री केन्द्र: ₹1.48 करोड़, चंबा: 88 बिक्री केन्द्र: ₹1.10 करोड़, किन्नौर: 11 बिक्री केन्द्र: ₹0.11 करोड़, मण्डी: 145 बिक्री केन्द्र: ₹2.86 करोड़, शिमला: 155 बिक्री केन्द्र: ₹5.35 करोड़, सिरमौर : 23 बिक्री केन्द्र: ₹0.39 करोड़ तथा ऊना: 95 बिक्री केन्द्र: ₹1.45 करोड़।

तिमाही आधार पर न्यूनतम गारंटीड कोटा उठाने की स्थिति की जांच करने के लिए कोटा उठाने के विवरण से समीक्षा नहीं की जो कि आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही या अनिच्छा को दर्शाता है। इस प्रकार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप ₹14.55 करोड़ (₹12.74 करोड़ + ₹1.81 करोड़)की फीस तथा शास्ति की अल्प वसूली हुई तथा लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने सभी निर्धारण प्राधिकारियों को चूक-कर्त्ताओं से अतिरिक्त फीस तथा शास्ति की वसूली के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय कार्यालय, आबकारी घोषणा में दिए गए प्रावधान के अनुसार मासिक/त्रैमासिक आधार पर बिक्री केन्द्रों द्वारा उठाए न्यूनतम गारंटिड कोटे की स्थिति की समीक्षा करे।

3.5 विलम्बित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

विभाग द्वारा लाइसेंस फीस/बोतलीकरण फीस/फ्रैंचाइजी फीस का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ₹3.77 करोड़ के ब्याज के लिए 156 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से कोई मांग नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

आबकारी घोषणा 2016-17 में यह प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर निर्धारित गारंटीड कोटा उठाने में असमर्थ होता है तो उसे उस मास के लाईसेंस शुल्क की पूरी किश्तें मास के अंतिम दिन तक तथा मार्च मास की फीस की पूरी अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। इसमें पुन: प्रावधान है कि बोतलीकरण फीस[7] तथा फ्रैंचाइजी फीस[8] का भुगतान निर्धारित दर से त्रैमासिक आधार पर अर्थात् वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिनों के भीतर किया जाएगा। इसमें पुन: प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि या उसके अंश की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 14 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से ब्याज उद्ग्राहय होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों जिसमें 1,134 बिक्री केन्द्र सम्मिलित थे, की नमूना-जांच की तथा पाया कि 1,106 बिक्री केन्द्र युक्त आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[9] में 156 बिक्री केन्द्रों के लाईसेंसधारियों ने अप्रैल 2016 तथा नवम्बर 2017 के मध्य ₹225.02 करोड़ की लाईसेंस फीस/बोतलीकरण फीस/फ्रैंचाइजी फीस को देय तिथि के पश्चात जमा किया था। विलम्ब दो एवं 434 दिनों के मध्य था। इसलिए, ये लाइसेंसधारी विलम्बित भुगतान पर ₹3.77 करोड़[10] का ब्याज देने के लिए उत्तरदायी थे। तथापि, सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने इसके लिए कोई मांग नहीं की। इसके अतिरिक्त, आबकारी घोषणा के उल्लघंन में, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने लेखापरीक्षा द्वारा पिछले पांच वर्षों से बार-बार इंगित किये जाने पर भी इस प्रकार की कमियों की समीक्षा नहीं की जो कि आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही या निष्क्रियता को दर्शाती है। इसके परिणामस्वरूप ₹3.77 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

---

7 शराब के बोतलीकरण पर आसवनी द्वारा बोतलीकरण फीस भुगतान की जाती है। देशी शराब हेतु यह 88 पैसे 750 मिली लीटर की प्रत्येक बोतल एवं अन्य के लिए ₹1.10 प्रति बोतल तथा स्वयं के ब्रांड के लिए ₹2.20 प्रति बोतल

8 फ्रैंचाइजी फीस ऐसी फीस है जिसकी अदायगी लाइसेंसधारी द्वारा आसवनी को पट्टे पर लेने पर की जाती है तथा जो अपने ब्रांड की बोतलें भरता हो। इसकी दर 8.00 प्रति प्रूफ लीटर होती है।

9 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, चंबा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

10 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी 13 बिक्री केन्द्र: ₹1.32 करोड़, चंबा 22 बिक्री केन्द्र: ₹0.26 करोड़, कुल्लू: 14 बिक्री केन्द्र: ₹0.21 करोड़, मण्डी आठ बिक्री केन्द्र: ₹0.30 करोड़, शिमला 24 बिक्री केन्द्र: ₹1.02 करोड़, सिरमौर 45 बिक्री केन्द्र: ₹0.12 करोड़, सोलन 10 बिक्री केन्द्र: ₹0.28 करोड़ तथा ऊना 20 बिक्री केन्द्र: ₹0.26 करोड़

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[11] ने ₹4.31 लाख की राशि को वसूल कर लिया था तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन तथा शिमला ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के तहत दो मामलों में ₹40.38 लाख को बकाया घोषित किया था। अन्य सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने सभी निर्धारण प्राधिकारियों को चूककर्ताओं से वसूली करने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

3.6 शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसैंस फीस की वसूली न करना

पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस का उद्ग्रहण न करने के कारण तीन बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹27.16 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

आबकारी घोषणा 2015-16 में यह प्रावधान है कि किसी बिक्री केन्द्र के लाइसेंस के नवीकरण करने के मामले में गत वर्ष अर्थात् 2014-15 के न्यूनतम गारंटीड कोटा के तीन *प्रतिशत* तक के शराब के बिक्री न हुए स्टॉक को आगामी वर्ष 2015-16 हेतु न्यूनतम गारंटीड कोटे के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा। लाइसेंसधारी को वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित की गई 50 *प्रतिशत* की दर से अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान करने पर इस बिक्री न हुए स्टॉक को लेना होगा ।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों जिसमें 1,134 बिक्री केन्द्र शामिल थे, की नमूना-जांच में पाया कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर जिसके पास 24 बिक्री केन्द्र थे, ने विगत वर्ष 2014-15 में भारत में निर्मित विदेशी शराब के 22,361.779 प्रूफ लीटर के बिक्री न किए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की वसूली नहीं की थी। इन लाइसेंसधारियों द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 *प्रतिशत* की दर से बिक्री न हुए इस स्टॉक पर ₹27.16 लाख की अतिरिक्त लाइसेंस फीस देय थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा ₹27.16 लाख लाइसेंस फीस की मांग नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2018) कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने लाइसेंसधारियों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

3.7 एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तथा रेक्टीफाइड स्पिरिट की बिक्री पर आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण न करना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने राज्य के अन्दर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तथा रेक्टीफाइड स्पिरिट की बिक्री पर आबकारी शुल्क की मांग नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹18.08 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 (जो हिमाचल प्रदेश में भी लागू होता है) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी, मद्य-निर्माणशाला, गोदाम अथवा भंडारण के किसी अन्य स्थान से कोई मादक पदार्थ तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो अथवा इसके भुगतान हेतु एक बॉड का निष्पादन न किया गया हो। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 की आबकारी घोषणा में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तथा रेक्टीफाइड शराब पर ₹11.77 प्रति बल्क लीटर आबकारी शुल्कों की दरें निर्धारित है।

[11] शिमला: ₹4.29 लाख तथा ऊना ₹0.02 लाख

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों जिसमे तीन आसवनियां शामिल थी, की नमूना-जांच की तथा पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, जिसके पास एक आसवनी थी, ने एक लाइसेंसधारी से (आसवनी) बिक्री किए गए एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल तथा रेक्टीफाईड स्पिरिट पर आबकारी शुल्क उद्गृहीत नहीं किया था जिसने कि राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान 1,53,644 बल्क लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल तथा रेक्टीफाईड स्पिरिट बेचा था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि न तो लाइसेंसधारी ने बेची हुई एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल तथा रेक्टीफाइड स्पिरिट पर किसी आबकारी शुल्क का भुगतान किया और न ही विभाग द्वारा कोई मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹18.08 लाख (1,53,644 बल्क लीटर x ₹11.77 प्रति बल्क लीटर) राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने सभी निर्धारण प्राधिकारियों को चूककर्त्ताओं से आबकारी शुल्क की वसूली हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश जारी कर दिए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

उजागर किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे सभी मामलों की विस्तृत जांच हेतु कार्रवाई शुरू करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।